मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर-दिसम्बर, 1996 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 10 दिसम्बर, 1996 (अग्रहायण 19, 1918)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, सामान्य प्रशासन मंत्री, मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप-लोक आयुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37 सन् 1981) की धारा 17 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15 (3)-96 एक-10, दिनांक 28 नवम्बर, 1996 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री रामलखन शर्मा, सदस्य, रीवा नगर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के आस-पास अतिक्रमण होने की ओर स्थानीय शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री मनोहरलाल राठौर, कमल पटेल, डॉ. सीता सरन शर्मा, सदस्य, होशंगाबाद जिले की तवा नहर से कृषकों को सिचाई हेतु पानी न मिलने की ओर उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री बच्चन नायक, सदस्य, जबलपुर जिले के ग्राम निगहरा में विद्युत कनेक्शन दिलाये जाने;

(2) महन्त स्वामी उमेश मुनि, सदस्य, खण्डवा जिले के ग्राम बसाड को -

(क) ताप्ती नदी के कटाव से बचाये जाने ; तथा
(ख) बुरहानपुर तहसील से सम्बद्ध किये जाने;

(3) श्री कमल पटेल, सदस्य, होशंगाबाद जिले के ग्राम बावड़िया भाऊ में हाई स्कूल के सामने के मैदान को सार्वजनिक उपयोग हेतु बनाये जाने;

(4) डॉ. आई.एम.पी.वर्मा, सदस्य, रीवा जिले के -

(क) ग्राम अंतरैला कला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने; तथा
(ख) ग्राम करह उर्फ खैरागद में विद्युतीकरण कराये जाने,

के संबध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

5. लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

श्री बिसाहू लाल सिंह, लोक निर्माण मंत्री, दिनांक 16 अगस्त, 1996 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 49 (क्रमांक 1960) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

निर्धारित समय

6. वर्ष 1996-97 की द्वितीय अनुपूरक माँगों पर मतदान

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

3 घन्टे

"दिनांक 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 64, 67, 68, 70, 72, 74, 75, 76, 80, 81, 84, 87, 88, 89, 90, 91 एवं 92 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर ग्यारह सौ पचहत्तर करोड़, उन्नीस लाख, पचहत्तर हजार, तीन सौ रूपये की अनुपूरक राशि दी जाय"

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 4) विधेयक, 1996 (क्रमांक 29 सन् 1996) का पुरःस्थापन* करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

1 घन्टा

(2) श्री बी.आर.यादव, सहकारिता मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 1996 (क्रमांक 26 सन् 1996) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

1 घन्टा 30 मि.

8. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में अल्प वर्षा से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सर्वश्री बच्चन नायक, डॉ. गोविन्द सिंह, रामलखन सिंह (त्यौंथर), गौरीशंकर बिसेन, डॉ. ढाल सिंह बिसेन, बनवारी लाल अग्रवाल, लक्ष्मीकांत शर्मा, रमेश शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल, डॉ. आई. एम.पी.वर्मा, जयकरण साकेत तथा रामलखन शर्मा, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

9. नियम 142 - क के अधीन अल्पकालीन चर्चा

रायपुर जिले में स्थित देवभोग हीरा खदान विदेशी कम्पनी को दिये जाने के संबंध में सर्वश्री रामलखन शर्मा, बच्चन नायक, रामलखन सिंह (त्यौंथर), बृजमोहन अग्रवाल, गिरिराज मण्डलोई तथा बनवारी लाल अग्रवाल, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

अशोक चतुर्वेदी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 9 दिसम्बर, 1996

---

* अनुपूरक माँगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.